State Governments regarding movement of Pak ISI agents, anti-national elements and insurgents.

दिल्ली में अपराध

356. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अपराध करने वाले 90 प्रतिशत लोग वे हैं जिन्होंने अपराध-जगत में पहली बार प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का आंकलन क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोगों के अपराध-जगत में प्रवेश करने के कारणों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि जघन्य अपराधों के सिलसिले में चालू वर्ष (अक्तूबर, 1998 तक) के दौरान उनके द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से 90 प्रतिशत ऐसे हैं जिनका दिल्ली पुलिस के पास कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। इस तथ्य के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण सामाजिक-आर्थिक स्वरूप के प्रतीत होते हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि उच्च आकांक्षाओं इत्यादि के कारण उत्पन्न हुए हैं।

कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए किए गए उपायों में गश्त को तेज करना, विशेष रूप से शाम 6.00 बजे से 10.00 बजे तक, ज्ञात आपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखना, आसूचना संग्रहण में सुधार बदनाम स्थानों और अपराधियों छिपने के संदिग्ध ठिकानों पर छापे मारना तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना शामिल हैं।

कैबरे नृत्यों और सौदर्य प्रतियोगिताओं पर प्रतिबंध

357. **प्रो० रामगोपाल यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी सामाजिक संस्था या अन्य सूत्रों ने देश के चार महानगरों विशेषकर दिल्ली में, कैबरे नृत्य और सौन्दर्य प्रतियोगिताओं पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु आग्रह/मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग/आग्रह पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है या लेने पर विचार कर रही है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अपराधियों के लिए सेल्यूलर फोन को प्रतिबन्धित किया जाना

358. **श्री ईश दत्त यादव:**
प्रो० रामगोपाल यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली सहित देश के विभिन्न स्थानों पर बढ़ते हुए अपराधों के बारे में सही मायनों में चिंतित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपराधियों के लिए वरदान साबित हो रहे "सेल्यूलर फोन" पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है या प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध कब तक लगा दिये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) देश में सेलुलर फोन सेवाओं पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लाइसेंस करार की शर्तों में सुरक्षा सम्बन्धी मामलों के प्रभावी निपटान के लिए पर्याप्त उपायों का उपबन्ध किया गया है।

भारत में पाक-प्रायोजित आतंकवादी शिविर

359. **प्रो० रामगोपाल यादव:**
श्री रमा शंकर कौशिक:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर खोले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रशिक्षण शिविरों की संख्या क्या है और ये कहां-कहां पर स्थित हैं; और

(ग) इन प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट/बन्द करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का और कब तक करने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी नहीं, श्रीमान्। पाकिस्तान ने भारत में कोई आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर स्थापित नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

Adulterated mustard oil in Delhi

360. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of traders arrested for selling adulterated mustard oil;

(b) the names of wholesale dealers in Delhi who sold mustard oil and the total amount of mustard oil sold by them in July and August 1998;

(c) whether Government have found any source of adulterating the mustard oil in Delhi; and

(d) the steps taken by Government against the adulteration of mustard oil in Delhi?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) The total number of traders etc. arrested in National Capital Territory of Delhi in connection with the recent incidents of sale of adulterated mustard oil is 19.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The investigation into one of the cases registered in connection with the adulterated mustard oil has revealed that some manufacturers entered into a criminal conspiracy with the object of adulterating mustard oil by mixing argemone oil, ricebran, etc.

(d) The steps taken by the Government of the National Capital Territory of Delhi to prevent such incidents include appointment of 27 Sub-Divisional Magistrates covering all the 9 Districts of Delhi as Local (Health) Authorities under the Prevention of Food Adulteration Act; banning of the sale of loose mustrard oil; and making it incumbent on the manufacturers to market their product only after obtaining a "fee from adulteration" certificate from the specified Food Laboratories notified by the Central Government.

Links of Romesh Sharma

361. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI GAYA SINGH:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Bureau of Investigation (CBI) has been asked to probe Romesh Sharma's links with politicians, bureaucrats and police officials; and

(b) if so, the details thereof and by when the report is expected to be submitted?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) Investigations are in progress.

Acquittal of accused in Rape Cases

362. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI AKHILESH DAS:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of rape and gang rape cases which resulted in acquittal of the accused in different States during 1996-97, 1997-98 and current year, so far;

(b) whether various States and Central Women Organisations have been agitating and protesting against such acquittals; and

(c) the changes and modifications in the law and the enforcing mechanism proposed/being proposed to be effective to ensure that culprits in the rape, more particularly the gang rape cases, are effectively brought to book?